



न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- /2018 निगरानी

म.प्र. निगरानी/गुना/भ.रा/2018/2450

लालाराम पुत्र श्री नारायण लाल साहू, आयु लगभग 50 वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी-ग्राम खैरखेड़ा, तहसील मधसूदनगढ़, जिला गुना(म.प्र.)

-----प्रार्थी

बनाम

भारत सिंह पुत्र श्री माधौसिंह मैना, निवासी-ग्राम चौपना, तहसील मधसूदनगढ़, जिला गुना (म.प्र.)

-----प्रतिप्रार्थी

दिनांक 17-4-18 को प्रारम्भ निगम कोश

द्वारा प्रस्तुत/

17-4-18

पेशी दिनांक 27-4-18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध पारित आदेश द्वारा न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक-542/2017-18 द्वितीय अपील उनवान लालाराम बनाम भारत सिंह, आदेश पारित दिनांक 21/02/2018, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील राघोगढ़, जिला गुना के प्रकरण क्रमांक 60/अपील-2016-17 विरुद्ध पारित आदेश द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील मधुसदनगढ़ के प्रकरण क्रमांक 25अ-6/2002-03, आदेश पारित दिनांक

27/04/18

आवेदन निगामी नती अर्थ उपरि। प्रत्येक की ग्राह्यता पर तर्क सुकल दिने। निवादिन आदेश अपर आहूत न्यायालय संभाग 503. 542/17-18/ अपील में पारित आदेश दिनांक 26.03.18 में स्वगत आवेदन अर्थात् करते से संकल्पित है। अपील न्यायालय द्वारा स्वगत न दिने जाने के कारण आदेश में स्वगत निवेदन गये हैं, अतः इस स्तर पर इस पुनः विचार की आवश्यकता

प्रस्तुतकार

॥ वि.ग.गु.भू.श/२०४/२५५०

नहीं है। निगानी अम्बार / अग्रहण की जाती है। शब्द  
समाप्त क्षेत्र सखित टिकारि लो। निगानी नन्दि दूखित लो

Agave  
बदल्य

२